अनुसूची 14 – फारम सं0 563

क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय उपायुक्त, रॉची

विविध वाद सं0 – 24/2011–12

मोसो मनी देवी — आवेदक।

–बनाम्–

राज्य एवं मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. झारखण्ड स्टील लिमिटेड वैग0 – विपक्षी।

आदेश

30.1.18 अवेदक मोसो0 मनी देवी पति स्व0 साधु मुण्डा जाति मुण्डा (अनुसूचित जनजाति) निवासी – चौकाहातु, थाना सोनाहातु, जिला रॉची ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के तहत मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. झारखण्ड स्टील लिमिटेड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, श्री बसवराज दलगडे पिता स्व0 महादेवप्पा दलगडे, बी0 – 236, भूतल, रोड सं0 03, अशोक नगर, जिला रॉची के साथ

ग्राम	थाना सं0	खेवट सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा (एकड़)
चौकाहातु	04		37	1884	1.06
				5492	0.60
				5493	0.30
				5494	1.22
				5495	0.25
				5524/5720	0.22
				5568	0.33
				5645	0.62
			38	1908	2.68
				1915	1.33
				1977	0.10
				कुल रकबा –	8.71 एकड़

भूमि बिक्री करने की अनुमति के लिये आवेदन पत्र दिया है, इसी के आधार पर इस विविध वाद की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

[signature] 30/1/18

क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई व बारे मे टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा आवेदन पत्र की जॉच भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू से कराई गई। प्रस्तुत मामले मे भुमि सुधर उप–समाहर्त्ता बुण्डू, रॉची ने पत्रांक 216 दिनांक 11.08.2017 के माध्यम से जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया है जो इस अभिलेख के साथ संलग्न है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन का आवलोकन किया। प्राप्त जॉच प्रतिवेदनानुसार प्रश्नगत भूमि की बिक्री के संबंध मे अंचल कार्यालय सोनाहातु से दिनांक 15.05.2017 को नोटिस निर्गत किया गया। दिनांक 30.05.2017 को उनके वंशजों के द्वारा उपस्थित होकर भूमि बिक्री के संबंध मे आपत्ति दर्ज किया गया। दिनांक 02.06.2017 को उनके वंशज जंगल सिंह मुण्डा आवेदिका मुनी देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र दिया गया है। उनके द्वारा आपत्ति दर्ज किया गया है कि मो0 मुन्नी देवी द्वारा सभी वंशजो को नावल्द बताकर भूमि बिक्री का आवेदन दिया है एवं प्रश्नगत भूमि की बिक्री को खारीज करने का अनुरोध किया है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू ने अपने उपरोक्त प्रतिवेदन द्वारा छो0 का0 अधि0 की धारा 49 के तहत प्रस्तुत भूमि बिक्री अनुमति वाद को खारीज करने की अनुशंसा की है। अतः भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू के प्रतिवेदन द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक मे आवेदकगण द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 241 के तहत प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। 30/1/18 उपायुक्त, रॉची। लेखापित एवं संशोधित 30/1/18 उपायुक्त, रॉची।	

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.02.24 15:43:59 +05:30
Location: 192.168.2.192